उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 345– का०वि०नी० एवं विनियम–29/पाकालि/25–13–विनियम/1986 दिनांक 20 नवम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(23)वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975 (यथा संशोधित)** के **विनियम–06** के सम्बन्ध में निर्गत कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 1947–औसं एवं विनियम/पाकालि/2010–13–विनियम/86 दिनांक 05.08.2010 सपठित आदेश सं0–19–विनियम एवं औसं0/पाकालि/11–13–विनियम/86 दिनांक 13.04.2011 प्राविधानित व्यवस्था (स्तम्भ–01) को स्तम्भ–02 में उल्लिखित व्यवस्थाओं से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वर्तमान विनियम–06	प्रतिस्थापित विनियम–06
स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
प्रकरणों की जॉच हेतु समिति का गठन :–	**विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों की जाँच हेतु प्रक्रिया :–**
1. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं विद्युत वितरण निगमों तथा ट्रान्सकों के प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जॉच हेतु आवश्यकतानुसार एक या अधिक जाँच समितियों का गठन कर सके।	**1.** कारपोरेशन के अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगमों तथा पारेषण निगम के प्रबन्ध निदेशक, किसी कार्मिक के नियुक्ति प्राधिकारी एवं नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे अपनी अधिकारिता के अनुसार कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जाँच हेतु आवश्यकतानुसार जाँच अधिकारी नामित कर सके। इसके साथ ही अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि वर्तमान में चल रही जाँचों में भी जाँच समिति के स्थान पर जाँच अधिकारी से जाँच करा सके।
2. कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमों अथवा ट्रान्सकों के कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतो की जाँच कारपोरेशन अथवा उक्त प्रस्तर–1 में इंगित प्रबन्ध निदेशकों द्वारा गठित किसी भी जाँच समिति को सन्दर्भित कर सके।	**2.** कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमों अथवा पारेषण निगम के कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जाँच कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगम अथवा पारेषण निगम के स्तर से करा सकते हैं अथवा जाँच एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. उक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत गठित प्रत्येक जाँच समिति में निम्न होंगे :– (अ) एक मुख्य अभियन्ता .... संयोजक (ब) लेखा शाखा का एक अधिकारी (जो लेखाधिकारी से कनिष्ठ स्तर का न हो) .... सदस्य	**3.** जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र बना कर अद्यतन पदधारिता के अनुरूप ससमय अनुशासनिक प्राधिकारी के सम्मुख अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आरोपों की गम्भीरता एवं वित्तीय अनियमिततायें आरोपों का अंग होने की दशा में यदि अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि वित्तीय

क्रमशः....02

d:\vini files\viniyam files 329\viniyam files\viniyam year wise file\1986\13-viniyam 1986\janch samiti draft folder\20-11-2025 jannch samiti order draft.doc

	अनियमितता के परीक्षण/जांच हेतु जाँच समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, तो उन प्रकरणों में जाँच अधिकारी के स्थान पर उपयुक्त जांच समिति का गठन कर सकते हैं।
3(ए)1–प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में जिनमें कम से कम एक सहायक अभियन्ता के साथ सहायक अभियन्ता से नीचे के स्तर के कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हो, की जाँच हेतु उपरोक्त प्रस्तर–3 में इंगित जाँच समितियों के अतिरिक्त निम्नवत् जाँच समिति गठित की जा सकती है :– **(अ) अधीक्षण अभियन्ता.........संयोजक** **(ब) लेखाधिकारी .... सदस्य** **प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की सेवानिवृत्ति में कम से कम 18 माह का समय शेष हो एवं उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न हो।**	**3(क)**–प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में, जिनमें मात्र वही कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हों जिनके नियुक्ति अधिकारी अधिशासी अभियन्ता हैं तो अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न स्तर के अधिकारी को जाँच अधिकारी नामित किया जायेगा।
3(ए)2–अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता वाली जाँच समिति डिस्काम, ट्रांस्को, केस्को तथा मुख्यालय, किसी भी स्तर पर गठित की जा सकेगी।	**3(ख)**–प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में जिनमें अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों का पद सहायक अभियन्ता अथवा समकक्ष से उच्चतर नहीं है, उनमें जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया जा सकेगा।
3(ए)3–अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता वाली जाँच समिति आरोप पत्र संरचित कर उसे निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) (यदि जाँच निगम स्तर से संस्थित की गयी है) अथवा सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक (यदि जाँच वितरण निगम स्तर से संस्थित की गयी है) से अनुमोदित कराकर निर्गत करेगी। **नोटः–वर्तमान में कार्यरत जाँच समितियों में लम्बित प्रकरण उनसे वापस लेकर अब प्रस्तर 3(ए) के अन्तर्गत गठित होने वाली जाँच समितियों द्वारा भी निस्तारित किये जा सकेगें।**	**3(ग)**–प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में जिनमें अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों का पद अधिशासी अभियन्ता एवं उच्च अथवा समकक्ष हों, उनमें जांच हेतु मुख्य अभियन्ता से अनिम्न स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया जा सकेगा। **3(घ)** प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में, जिनमें एक से अधिक कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हों तथा एक साथ जाँच किये जाने का निर्णय लिया गया हो, ऐसी स्थिति में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों में वरिष्ठतम कार्मिक के आधार पर जाँच अधिकारी नामित किया जायेगा। **3(ङ)** जिस अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में प्राथमिक आख्या दी गयी हो, जिसके आधार पर जाँच संस्थगित की गयी है, उसको उक्त प्रकरण में जाँच अधिकारी नहीं बनाया जायेगा।
4. उक्त प्रस्तर–3 में गठित जाँच समिति के संयोजक को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विद्या के कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम/ट्रान्सकों में तैनात विशेषज्ञ की सेवायें किसी भी रूप में जाँच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके,	**4.** जाँच अधिकारी अथवा गठित जाँच समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विधा के कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम/पारेषण निगम में तैनात विशेषज्ञ की सेवायें किसी भी रूप में जाँच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके।
5. जाँच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की जाँच में निम्न प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा :–	**5.** जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की जाँच में निम्न प्रकिया का अनुपालन किया

	जायेगा :–
(क) जाँच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम पैंतालिस दिन में आरोप–पत्र सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी,	(क) जाँच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिन में आरोप–पत्र तैयार कर, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी। आरोप पत्र का उत्तर दिये जाने हेतु 15 दिन की अवधि प्रदान करते हुए आरोपित कार्मिक का व्यक्तिगत कथन प्राप्त कर लिया जाये। विशेष परिस्थितियों में कार्मिक के स्वयं के अनुरोध पर अतिरिक्त अवधि प्रदान की जा सकती है, जो अधिकतम 15 दिन की होगी। उक्त अवधि में आरोपित कार्मिक को आरोप का उत्तर दिया जाना बाध्यकारी होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में, जिसका जाँच अधिकारी द्वारा स्पष्ट कारण जाँच आख्या में अंकित किया जायेगा, आरोपित कार्मिक को उत्तर देने के लिये अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। उक्त समय विस्तार अपवाद स्वरूप ही होगा।
(ख) जाँच समिति सम्बन्धित कार्मिक से आरोप–पत्र का उत्तर प्राप्त होने के तीस दिन में सुनवाई प्रारम्भ कर देगी जो अधिकतम पैंतालिस दिन में पूरी कर ली जायेगी,	(ख) सम्बन्धित कार्मिक से आरोप–पत्र का उत्तर प्राप्त होने के एक सप्ताह में सुनवाई प्रारम्भ की जाएगी, जो अधिकतम 30 दिन में पूरी कर ली जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप जाँच अधिकतम 60 दिन में पूरी की जायेगी।
(ग) जाँच समिति द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम पैंतालिस दिन में जाँच आख्या सम्बन्धित कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) अथवा प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करायेगी,	(ग) सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम 15 दिन में जाँच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष को, यथास्थिति, उपलब्ध करा दी जायेगी। जाँच आख्या प्राप्त होने के 30 दिन में जाँच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण पर अग्रेतर निर्णय यथा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करना, पुनः जाँच कराना अथवा अभ्यावेदन प्राप्त करना आदि, ले लिया जायेगा।
(घ) कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) एवं निगमों/ट्रांस्कों के प्रबन्ध निदेशक जाँच समिति से आख्या प्राप्त होने के पैंतालिस दिन में जाँच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करेंगे,	(घ) जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति उक्त प्रस्तर–5(क) से 5(ख) में इंगित समय–सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष को इनके कारणों/परिस्थितियों से अवगत करायेंगे एवं विलम्ब के कारणों का उल्लेख जाँच आख्या में भी करेंगे।
(ड़) जाँच समिति उक्त प्रस्तर–क से घ में इंगित समय–सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कारपोरेशन/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को इनके कारणों/परिस्थितियों से अवगत करायेंगे एवं इनका उल्लेख जाँच आख्या में करेंगे।	

2. उपरोक्तानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1975** उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा अन्य समस्त प्राविधान यथावत् लागू माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0– 345 – कार्विनी एवं विनियम/पाकालि/25 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्कों एवं यू0पी0आर0ई0वी0 के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 12.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

30/11/2025

(अंजू)

अनु सचिव (कार्विनी एवं विनियम)